दिनांक–20.10.2010

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आगरा परिक्षेत्र।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) बी0 के अनुसार आगरा परिक्षेत्र के पुलिस विभाग के संबंध में निम्नलिखित सूचना प्रकाशित की जाती है –

शासनादेश संख्या:–2912छ:–पु0से0–2/2009 दिनांक 03–02–2009 द्वारा पदेश की सभी जोन्स के जोनल पुलिस महानिरीक्षक के पदों के साथ–साथ पुलिस महानिरीक्षक,आगरा जोन,आगरा पद समाप्त कर शासनादेश संख्या: 292/छ:–पु0से0–2/2009,कदनांक 03–02–2009 द्वारा आगरा परिक्षेत्र आगरा में पुलिस महानिरीक्षक रैंक के अधिकारी नियुक्त किये गये, जिन्हें परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक कहा गया है।

1. पुलिस बल के संगठन कार्य तथा कर्तव्यों का विवरण

उ0प्र0 पुलिस रैगुलेशन के पैरा 2 के अनुसार– उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में पुलिस महानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र, आगरा के प्रभारी हैं, वे पुलिस की निपुणता के लिए अपने परिक्षेत्र में उत्तरदायी होते हैं। उन्हें यह देखना होता है कि जिला प्रशासन का उचित स्तर बनाये रखा जा रहा है। उनको अपने अधीनस्थ पुलिस अधीक्षकों से निकट सम्बन्ध बनाये रखना चाहिए और उन्हें सहायता एवं परामर्श देने के साथ–साथ उन पर नियन्त्रण रखा जाना चाहिए और इसके लिए तत्पर रहना चाहिए। उन्हें कम से कम वर्ष में एक वार प्रत्येक जिले के अधीक्षकों के कार्यो का पर्यवेक्षण करना चाहिए।

उ0प्र0 पुलिस रैगुलेशन के पैरा 3 के अनुसार– पुलिस महनिरीक्षक, अपने परिक्षेत्र में अपराधों के साधारण पर्यवेक्षण के लिए दायित्वाधीन हैं। उन्हें यह देखना चाहिए कि गम्भीर अपराध को रोकने के लिए उचित उपाय किये गये हैं और जिलों का आपस में सहयोग प्रभावी है।पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र में पुलिस की शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग केन्द्रों में पर्यवेक्षण और सामन्जस्य हेतु उत्तरदायी होंगे। इसका वह समय–समय पर निरीक्षण करेंगे। इसके अतिरिक्त वह परिचित प्रशिक्षण की नवीनतम रीतियों से सम्पर्क में रहेंगे तथा उन्हें प्रयोग के तौर पर पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में अंगीकृत करेंगे।

1.1 परिक्षेत्र में पुलिस का संगठन –

आगरा परिक्षेत्र में पुलिस का संगठन निम्नलिखित प्रकार से है–

पुलिस महानिरीक्षक	पुलिस अधीक्षक
पुलिस महानिरीक्षक,	पुलिस उपमहानिरीक्षक, आगरा

आगरा परिक्षेत्र	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा
	पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी
	पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद

1.2 परिक्षेत्र में नियुक्त अन्य अधिकारियों के कार्यो का पर्यवेक्षण

क्र0 सं0	पद का नाम	कार्य	पर्यवेक्षण
1	पुलिस उपाधीक्षक, प्रशिक्षण, आगरा	परिक्षेत्र में प्रशिक्षणाधीन कर्मचारियों/अधिकारियों के प्रशिक्षण का समन्वय व मार्ग दर्शन करना	पुलिस महानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र
2	अवर अभियन्ता, आगरा परिक्षेत्र	भवनों के निर्माण/मरम्मत तथा रख-रखाव के प्रस्ताव तैयार करना तथा तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट तैयार करना	पुलिस महानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र

2. अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य

शासनादेश संख्या:292/छ:-पु0से0/2009,कदनांक 03-02-2009 आगरा परिक्षेत्र,आगरा में पुलिस उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र आगरा के स्थान पर पुलिस महानिरीक्षक,स्तर के अधिकारी की नियुक्ति प्रदान की गयी है,परन्तु इनकी शक्तियां एवं कर्तव्यों के सम्बन्ध में अधिनियम,, पुलिस रैगुलेशन, दण्ड प्रक्रिया सहिता उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की दण्ड एवं अपील नियमावली-1991 पुलिस रेगूलेशन में कोई परिवर्तन/सशोधन नहीं किया गया है। इसलिये पुलिस महानिरीक्षक,आगरा परिक्षेत्र,आगरा द्वारा उन्ही शक्तियों/दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है जा पुलिस उपमहानिरीक्षकों परिक्षेत्रों को प्रदत्त हैं।

2.1 अपर पुलिस अधीक्षक के कर्तव्य एवं दायित्व

1. अपने कार्यक्षेत्र में पुलिस प्रशासन का पर्यवेक्षण करना।
2. अपने कार्यक्षेत्र में अपराधों की रोकथाम तथा उस पर नियन्त्रण और अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों एवं संगठित गिरोहों के विरूद्ध डेटावेस तैयार कर सुनियोजित ढंग से कार्यवाही सुनिश्चित करना।
3. अपने कार्यक्षेत्र में घटित समस्त समस्त स्पेशल रिपोर्ट अपराधों की विवेचनाओं की गहन समीक्षा करना और महत्वपूर्ण घटना स्थलों का निरीक्षण करना।
4. अपने कार्यक्षेत्र में साम्प्रदायिक तनाव के दौरान पुलिस के कार्य पर गहन पर्यवेक्षण करना एवं अधिनस्थ अधिकारियों का मार्ग दर्शन करना।

5. अपने अधीनस्थ समस्त जनपदों की आन्तरिक सुरक्षा योजनाओं को अध्यावधिक कराकर उन पर आवश्यकतानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करना।
6. उन आन्दोलनों जिनमें शान्ति भंग हो अथवा भंग होने की आशंका हो, के विषय में कार्य प्रणाली का गहन पर्यवेक्षण करना एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करवाना।
7. समाज के दलित एवं दुर्बल वर्ग के लोगों की सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली का गहन पर्यवेक्षण करना एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करवाना।
8. सप्ताह में मंगलवार एवं रविवार को छोड़कर प्रत्येक दिन प्रात: 10 बजे से 12 बजे तक अपने कार्यालय में जनता की शिकायतों को सुनने व उन पर कार्यवाही सुनिश्चित करवाने हेतु उपलब्ध रहना। किसी अपरिहार्य स्थिति में अनुपालन के कारण किसी जिम्मेदार अधिकारी को इस कार्य हेतु नामित करना।
9. अपने कार्यक्षेत्र में व्यापक भ्रमण करना एवं समय-समय पर संवेदनशील स्थानों पर जनता की समस्याओं को सुनने उनके निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने एवं विशेष अपराधों की समीक्षा हेतु रात्रि हाल्ट करना।
10. अपने अधीनस्थ समस्त जनपदों के पुलिस कार्यालयों, पुलिस लाइन्स आदि का स्थायी आदेशों के अनुसार निरीक्षण करना।
11. पुलिस बल में अनुशासन बनाये रखना तथा उसमें सुधार लाना।
12. नियन्त्रणाधीन पुलिस कर्मियों के कल्याण की ओर ध्यान देना।
13. शासन एवं पुलिस महानिदेशक के द्वारा दिये गये आदेशों के अनुसार निर्धारित सभी प्रशासनीय एवं वित्तीय दायित्वों पर कार्यवाही सुनिश्चित करना।
14. ऐसे अन्य कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व जो समय-समय पर शासन एवं पुलिस महानिदेशक द्वारा सौंपें जायें उनका निर्वहन करना।
15. पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों में जनता के प्रति व्यवहार में आशातीत सुधार लाना।
16. मा0 उच्च न्यायालय द्वारा डी0के0बसु केस में दिये गये प्रत्येक निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करवाना तथा प्रत्येक आकस्मिक निरीक्षण में जो क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षीक तथा स्वयं के द्वारा किये जायें, में अनुपालन सम्बन्धी निरीक्षण नोट करना।

3. निर्णय लेने की प्रक्रिया की कार्यविधि के पर्यवेक्षण व उत्तरदायित्व के स्तर-

पुलिस महानिरीक्षक के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत किये गये प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण हेतु अभिलम्ब अथवा निर्धारित की गयी अवधि के अन्दर कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाती है। प्रार्थना-पत्रों एवं जॉच रिपोर्टो का रख-रखाव आदि जनसम्पर्क अधिकारी द्वारा किया जाता है। जिसकी कार्यवाही की समयावधि 01 वर्ष होती है।

पुलिस महानिरीक्षक को डाक द्वारा जो प्रार्थना-पत्र प्राप्त होते हैं उन्हें पुलिस महानिरीक्षक, कार्यालय के गोपनीय सहायक द्वारा उनकी प्राप्ति स्वीकार की जाती है और उन्हें खोल कर नियमान्तर्गत वाचक शाखा को आवश्यक कार्यवाही हेतु दिये जाते हैं जिन्हें

दिये गये निर्देशानुसार अविलम्ब अथवा निर्धारित अवधि के अन्दर उनका निस्तारण कराया जाता है। इसके अतिरिक्त /मानवाधिकार एवं शासन आदि जगहों से शिकायत सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र आदि प्राप्त होते हैं उनकी प्राप्ति गोपनीय सहायक द्वारा स्वीकार की जाती है और उन पर निर्देश प्राप्त कर शिकायत प्रकोष्ठ को नियमानुसार इस आशय से दिये जाते हैं कि उन पर अभिलम्ब अथवा निर्धारित अवधि के अन्दर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर उनका निस्तारण कराया जाय। प्रार्थना-पत्रों/जाँच रिपोर्टो का रख-रखाब वाचक एवं शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा एक वर्ष तक किया जाता है।

परिक्षेत्र स्तर पर जनपदों के विशेष अपराधों के पर्यवेक्षण हेतु सम्बन्धित जनपदों से विशेष अपराध आख्या प्राप्त की जाती है और विशेष अपराध पत्रावली बनाकर निर्धारित अवधि में अपेक्षित आख्या प्राप्त की जाती है और यदि कमियाँ प्राप्त होती हैं तो उन आपत्तियों को निर्धारित अवधियों में निराकरण करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया जाता है। कार्यवाही पूर्ण होने पर अनुमोदनोंपरान्त पत्रावली बन्द कर दी जाती है। यह कार्य वाचक शाखा द्वारा सम्पादित किया जाता है।

4. कर्तव्यों के सम्पादन हेतु अपनाये जाने वाला मानदण्ड-

1. भारतीय संविधान में पुलिस जन की सम्पूर्ण निष्ठा व संविघान द्वारा नागरिकों को दिए गये पूर्ण सम्मान करना।
2. बिना किसी भय पक्षपात अथवा प्रतिशोध की भावना के समस्त कानूनों का दृढ़ता व निष्पक्षता से निष्पादन करना।
3. पुलिस जन को अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों की परिसीमाओं पर पूरा नियंत्रण रखना।
4. कानून का पालन कराने अथवा व्यवस्था बनाये रखने के काम में जहां तक सम्भव हो समझाने बुझाने का प्रयास, यदि बल प्रयोग करना अनिवार्य हो, तो कम से कम बल प्रयोग करना।
5. पुलिस जन का मुख्य कर्तव्य अपराध तथा अव्यवस्था को रोकना।
6. पुलिस जन को यह ध्यान में रखना कि वह जनसाधारण का ही अंग है तथा वे वही कर्तव्य कर रहे हैं जिनकी विधान ने समान नागरिकों से अपेक्षा की है।
7. प्रत्येक पुलिस जन को यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी सफलता पूरी तरह से नागरिक सहयोग पर आधारित है।
8. पुलिस जन को नागरिकों के कल्याण का ध्यान उनके प्रति सहानुभूति व सदभाव हृदय में रखना।
9. प्रत्येक पुलिस जन विषम परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन बनाये रखना और दूसरों की सुरक्षा हेतु अपने प्राणों तक को उत्सर्ग करने के लिए तत्पर रहना।
10. हृदय से विशिष्टता, विश्वसनीयता, निष्पक्षता, आत्मगौरव व साहस से जनसाधारण का विश्वास जीतना।

11. पुलिस जन को व्यक्तिगत तथा प्रशासनिक जीवन में विचार, वाणी व कर्म में सत्यशीलता व ईमानदारी बनाये रखना।

12. पुलिस जन को उच्चकोटि का अनुशासन रखते हुए कर्तव्य का विधान अनुकूल सम्पादन करना।

13. सर्वधर्म सम्भाव एवं लोक तांत्रिक राज्य के पुलिस जन होने के नाते समस्त जनता मे सोहार्द व भाई चारे की भावना जागृत करने हेतु सतत प्रयत्नशील रहना।

5. कर्तव्यो के निर्माण हेतु अपनाये जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, निर्देशिका व अभिलेख

क्र0सं0 अधिनियम, नियम, रेग्युलेशन का नाम

1 पुलिस अधिनियम 1861

2 भारतीय दण्ड संहिता 1861

3 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973

4 साक्ष्य अधिनियम 1872

5 उत्तर प्रदेश पुलिस रेग्युलेशन 1861

6 उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991

7 उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन और अपील) नियमावली-1999

8 उ0प्र0 पुलिस कार्यालय मैनुअल

9 वित्तीय हस्त पुस्तिका

10 समय-समय पर निर्गत शासनादेश/उच्चाधिकारियों द्वारा निर्गत परिपत्र व अन्य निर्देश एवं इस के अतिरिक्त तत्समय प्रचलित अन्य विधियाँ भी पुलिस कार्य प्रणाली को सशक्त एवं विनियमित करती हैं।

6. विभाग द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों की श्रेणी

पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्रीय कार्यालय में निम्न अभिलेख रखे जाते हैः-

1 सेवा सम्बन्धी अभि।लेख

2 विशेद्दा अपराध पत्रावलियां

3 कानून व्यवस्था एवं आपराधिक स्थिति की समीक्षा सम्बन्धी पत्रावलियां

4 वेतन, भत्ते, आकस्मिता निधि एवं बजट सम्बन्धी अभि।लेख

5 शिकायत निस्तारण सम्बन्धी अभि।लेख

6 गार्ड फाइल

7 भवन मरम्मत/निर्माण सम्बन्धी अभिलेख

7. जनता की परामर्श दात्री समितियां जो संगठन में अर्न्तनिहित है

शून्य

8. बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकाय जो संगठन के भाग या सलाह के लिए मौजूद है

पुलिस संगठन में इस प्रकार की कोई व्यवस्था प्रचलित नहीं है।

9. अधिकारियों तथा कर्मचारियो की टेलीफोन डायरेक्ट्री

पुलिस महानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र के अधिकारियों/कर्मचारियों के टेलीफोन नम्बर

नाम/पद पुलिस अधिकारीगण	आवास नं0	कार्यालय नं0	सी.यू.जी. मो.नं0
पुलिस महानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र	0562-2463343	0562-2261000	9454400178
गोपनीय सहायक	-	0562-2261000	9454402579
प्रधान लिपिक	-	0562-2261000	9454402579
जनसम्पर्क अधिकारी	-	0562-2261000	9454402579
वाचक, पुलिस महानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र	-	0562-2261000	9454402579
परिक्षेत्रीय अवर अभियन्ता	-	0562-2261000	9454402579

10. अधिकारियों व कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिक

क्र0सं0	पद	नये वेतन में, वेतन + ग्रेड पे	वेतन व ग्रेड पे सम्मिलित कर
1	पुलिस महानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र	49220+10000	59,220
2	गोपनीय सहायक	21480 + 6600	29800
3	प्रधान लिपिक	18930 + 4800	23730
4	जनसम्पर्क अधिकारी	6500-200-10500	9500
5	वाचक, पुलिस महानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र	8000-275-13500	9925
7	परिक्षेत्रीय अवर अभियन्ता	15080 + 4800	19880

8	.एस.आई.(एम)	14650+4600	19250
9–	ए0एस0आई0(एम)	11640+2800	14440
10–	ए0एस0आई0(एम)	11410+2800	14210
11–	ए0एस0आई(एम)	11380+2800	14180

11. बजट

क्र0 सं0	लेखा शीर्षक	चालू वित्तीय वर्ष 2010––2011	
		अनुदान	व्यय
1	वेतन, महंगाई एवं अन्य भत्ते	28,75000	21,88,306
2	यात्रा भत्ता	34000	–
3	ग्रीष्म एवं शीत कालीन व्यय	–	–
4	फर्नीचर का क्रय एवं मरम्मत	25000	9647
5	अन्य छुद्र आकस्मिक व्यय	127000	126985
6	विद्युत/प्रकाश व्यय	76000	76000
7	छपाई पर व्यय	–	–
8	पुरस्कार	–	–
9	वर्दी व्यय	6000	6000
10	टेलीफोन का व्यय	84000	84000
11	मजदूरी	7200	3600
12	पुस्तकों का क्रय	–	–
13	डाक तार व्यय	7000	4000
14	लेखन सामग्री	102000	101976
15	पंखों का क्रय	–	–
16	गुप्त सेवा व्यय	28000	14000
17	सुख सुविधा निधि	10000	10000
18	खेलकूद	1000	1000
19	कल्याण निधि	20000	20000

20	कम्प्यूटर अनुरक्षण	4000	3830
21	चिकित्सा व्यय	16868	-
22-	स्था0यात्रा व्यय	16000	6793

12. सब्सिडी कार्यक्रम के निस्पादन का ढंग

वर्तमान में विभाग में कोई उपादान कार्यक्रम प्रचलित नहीं है।

13. संगठन द्वारा प्रदत्त छूट, अधिकार पत्र तथा अधिकृतियों के प्राप्त कर्ताओं का विवरण

शून्य

14. इलेक्ट्रानिक प्रारूप में सूचनाओं की उपलब्धता

उक्त सूचना को इलेक्ट्रानिक रूप निबद्ध होने के बाद उसकी प्राप्ति के संबंध में अवगत कराया जायेगा।

15. अधिनियम के अन्तर्गत नागरिकों को प्रदत्त सुविधायें

क्र0 सं0	कार्य	कार्यवाही किसके स्तर से	समयावधि
1	सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किया जाना	पुलिस महानिरीक्षक/ जनसम्पर्क अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक	प्रातः 10 बजे से शाम 1700 बजे तक (राजकीय अवकाशो का छोड़कर)
2	सूचना निरीक्षण करने का स्थान	उपरोक्त	उपरोक्त
3	सूचना प्रदान किये जाने का स्थान	उपरोक्त	विलम्बतम 30 दिन तथा जीवन रक्षा एवं व्यक्ति की स्वत्रंता के संबंध में 48 घण्टे
4	सूचना निरीक्षण करने हेतु जमा की जाने वाली धनराशि	पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय की आंकिक	उपरोक्त

	(10 रू0 प्रथम घण्टा, प्रथम घण्टा के पश्चात 5 रू0 प्रति 15 मिनट)	शाखा में नगद, लोक प्राधिकारी को ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक	
5	सूचना प्राप्त करने हेतु जमा कराई जाने वाली राशि का विवरण (10 रू0 प्रति आवेदन पत्र और गरीबी की रेखा के नीचे के व्यक्तियों को निःशुल्क)	उपरोक्त	उपरोक्त

समय से सूचना उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में 250 रू0 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना (25000 रू0 अनधिक) भी देय होगा।

16. <u>लोक सूचना अधिकारियों के नाम व पदनाम</u>

पुलिस महानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र, आगरा कार्यालय में लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति निम्न प्रकार की गयी है :-

क्र0 सं0	**राज्य जन सूचना अधिकारी का नाम व पद**	**राज्य सहायक जन सूचना अधिकारी का नाम व पद**	**अपीलीय अधिकारी का पदनाम**
1	पुसिल महानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र, (9454400178)	वाचक, पुसिल महानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र, (9454402579)	पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ,

17. <u>अन्य कोई विहित सूचना</u>

शून्य